

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग-1)

क्रमांक -एफ 1(8)ग्रावि/ग्रुप-1/2006


जयपुर, दिनांक 8 FEB 2016

—: आदेश :-

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1957 के नियम 26 (सी) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर वर्ष 2015-16 की रिक्तियों के विरुद्ध दिनांक 01.04.2015 से ग्रामीण विकास (राजस्थान मंत्रालयिक सेवा) के निम्नांकित निजी सहायकों को अति.निजी सचिव के पद पर वेतन श्रृंखला PB-14-9300-34800 GP 4800/- में एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

1. श्री अशोक कुमार जैन
2. श्री सुरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री जी.एल.शर्मा


उपरोक्त कार्मिक दिनांक 01.04.2011 के रिक्तियों के विरुद्ध निजी सहायक के पद पर पदोन्नत किये गये थे एवं अनुभव में एक तिहाई(एक वर्ष) छूट कार्मिक विभाग की आई.डी.संख्या 03/डीओपी/ग्रुप-2/16 दिनांक 12.01.2016 के द्वारा प्रदान की गई है।


(उज्जवल राठी)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास, राज. जयपुर।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारी, ग्रामीण विकास, राज. जयपुर।
- ✓ 3. सम्बन्धित कार्मिक।
4. रक्षित पत्रावली।


18/2/2016
(राजेश कुमार शर्मा)
परियोजना अधिकारी (प्रशासन)